न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–21/2013–14

विजय सिंह बनाम सच्चिदानंद सिंह वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
11/04/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 17 एवं 18/2012–13 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 21.01.2013/04.02.13 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस पुनरीक्षण वाद के पक्षकार निम्नानुसार है **प्रथम पक्ष** श्री विजय सिंह, पिता स्व0 चन्द्रमा सिंह, ग्राम–विशनपुरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** 1. श्री सच्चिदानंद सिंह, पिता स्व0 विनोद सिंह, 2. श्री उमानंद सिंह,पिता स्व0 विनोद सिंह 3. श्री अजय सिंह, पिता राम राज सिंह, 4. श्री संजय सिंह, पिता राम राज सिंह, 5. श्रीमती संजु सिंह उर्फ संजु देवी, पति अनिल सिंह, 6. श्री संजय सिंह, पिता स्व0 कृष्णा सिंह, सभी का पता ग्राम–विशनपुरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के उपरान्त सभी विपक्षी को नोटिस की गयी। नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी सं0 5 एवं 6 को छोड़कर शेष विपक्षी उपस्थित हुए तथा उनकी तरफ से प्रतिउत्तर दायर किया गया। इस वाद में लम्बे समय से आवेदक के द्वारा पैरवी करना छोड़ दिया गया है। दिनांक 08.06.2016 के पश्चात निर्धारित तिथियों को आवेदक उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 28.03.2017 के बाद विपक्षीगण ने भी इस बाद में पैरवी करना छोड़ दिया है। दिनांक 09.08.2017 को अंतिम मौका दिए जाने के बावजूद उसके बाद सुनवाई की निर्धारित तिथियों 23.09.2017, 18.11.17, 06.01.18 एवं 24.02.18 को उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि उभय पक्ष को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदक के आवेदन एवं विपक्षी के प्रतिउत्तर का अवलोकन किया। मामला स्वत्व वाद का है। इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर टाईटिल सूट सं0 317/2012 दायर किया गया है, जिसमें इस	

वाद के आवेदक एवं अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 30/2010—11 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस वाद के विपक्षीगण के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद दायर है। स्वत्व वाद का निर्णय ही अंतिम रूप से प्रभावी होगा।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/5/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

11/5/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना